



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391-1

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 अगस्त 2011—श्रावण 26, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. 3915-289-इक्कीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 अगस्त 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

शासन स्तर से प्रस्ताव तैयार कर अधिनियम में
संशोधन किया गया।

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३० सन् २०११.

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०११.

[दिनांक १ अगस्त, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक १७ अगस्त, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के नासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

वृहद् शीर्ष का
स्थापन.

२. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ (क्रमांक १३ सन् १९९८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के वृहद् शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित वृहद् शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषयों में, जिनके अन्तर्गत स्थापत्य कला (आर्किटेक्चर), औषधनिर्माण विज्ञान (फार्मेसी) आतिथ्य क्षेत्र (हास्पिटैलिटी सेक्टर), होटल प्रबन्धन तथा केटरिंग टेक्नालाजी, यात्रा और पर्यटन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित अन्य उपाधि तथा उपाधिपत्र स्तर के पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं, व्यवस्थित, दक्षतापूर्ण एवं गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को स्थापित और निगमित करने और उससे सम्बद्ध या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम."

धारा ६ का संशोधन:

३. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२ क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आतिथ्य क्षेत्र, होटल प्रबन्धन तथा केटरिंग टेक्नालाजी, यात्रा और पर्यटन, या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित अन्य उपाधि तथा उपाधिपत्र स्तर के पाठ्यक्रमों में शिक्षा दे रहे, उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक या संस्था ऐसी तारीख से, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, विश्वविद्यालय से सहयुक्त और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त समझे जाएंगे तथा परिनियमों अथवा विनियमों द्वारा विहित रीति में अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड से सहयुक्त नहीं रह जाएंगे."

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. 3916-289-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 30 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 30 of 2011.

THE RAJIV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA
(SANSKODHAN) ADHINIYAM, 2011.

[Received the assent of the Governor on the 9th August, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 17th August, 2011].

An Act further to amend the Rajiv Gandhi Proudhyogiki Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1998.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Rajiv Gandhi Proudhyogiki Vishwavidyalaya (Sanskodhan) Adhiniyam, 2011. Short title.

2. For the long title of the Rajiv Gandhi Proudhyogiki Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1998 (No. 13 of 1998) (hereinafter referred to as the principal Act), the following long title shall be substituted, namely:— Substitution of long title.

"An Act to establish and incorporate a University of Technology for the purpose of ensuring systematic, efficient and qualitative education in engineering and technological subjects including Architecture, Pharmacy, Hospitality sector, Hotel Management and Catering Technology, Travel and Tourism and other degree and diploma level courses approved by the All India Council for Technical Education and to provide for matters connected therewith or incidental thereto."

3. In Section 6 of the Principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:— Amendment of Section 6.

"(2a) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any College or Polytechnic or institution imparting education in Hospitality sector, Hotel Management and Catering Technology, Travel and Tourism or other degree and diploma level courses approved by the All India Council for Technical Education situated within the limits of the area specified under sub-section (1) shall, with effect from such date as may be notified in this behalf by the State Government, be deemed to be associated with and admitted to the privileges of the Vishwavidyalaya and shall cease to be associated with other University or Board in the manner prescribed by the Statutes or regulations."